कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था**) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **नुसरत खान, कुरेशा बेगम और दशरथ खान (गारंटर)** को **27.04.2023** की सूचना में वर्णन के अनुसार **कर्ज खाता नं. HHLAGR00472659** की राशि **रू. 18,45,700.73 (रूपये अठारह लाख पैंतालीस हज़ार सात सौ और तिहत्तर पैसे मात्र)** और **20.04.2023** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **30.06.2026** को संपत्ति पर **आधिपत्य** कर लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि **रू. 18,45,700.73 (रूपये अठारह लाख पैंतालीस हज़ार सात सौ और तिहत्तर पैसे मात्र) 20.04.2023** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **सम्मान कैपिटल लिमिटेड** (पहले **इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था**) के आधीन होगा।

उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं. 4 संपत्ति के सभी भाग और खंड, जिसका क्षेत्रफल 132 स्क्वे. यार्डस यानी 110.36 स्क्वे.मीटर्स., जिसकी माप 23.9 फीट X 50 फीट, खसरा नं. 171 ए और 172 बी का हिस्सा, बलदेवपुरी कॉलोनी पर स्थित, मौजा कौलक्खा, तहसील और ज़िला आगरा-282001, उत्तर प्रदेश।

सीमाएँ:

पूर्व : हरिबाबू की कृषि भूमि — पश्चिम : प्लॉट नं. 4 का हिस्सा

उत्तर : 20 फीट चौडी सड़क — दक्षिण : प्लॉट नं. 4 का हिस्सा

सही/-

दिनांक : 30.06.2026 — प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : आगरा — सम्मान कैपिटल लिमिटेड

(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड

MAJESTIC AUTO LIMITED

सीआईएन नं. : L35911DL1973PLC353132,

पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, 2ए, महिन्द्रा टॉवर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, दूरभाष : 011-41641689, 41834666

ई-मेल आईडी : grievance@majesticauto.in, वेबसाइट : www.majesticauto.in,

सार्वजनिक सूचना: वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली 53वीं वार्षिक आम बैठक

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 53वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 17 अगस्त, 2026 को सुबह 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएगी, ताकि कंपनी की 53वीं एजीएम बुलाने के नोटिस ('नोटिस') में उल्लिखित कारोबार को पूरा किया जा सके।

कंपनीज अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत निर्मित नियमों, एमसीए द्वारा जारी सामान्य परिपत्र नंबर 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और बाद में जारी परिपत्र जिनमें सबसे नया सामान्य परिपत्र नंबर 03/2025, दिनांक 22 सितंबर, 2025 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के प्रावधानों; (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' संदर्भित) और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021, 13 मई, 2022 और सबसे नया सेबी परिपत्र नंबर **SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133** दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 ('सेबी परिपत्र') के अनुपालन में, कंपनी ने गुरुवार, 2 जुलाई, 2026 को उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस और वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट भेजी है, जिनके ईमेल पते कंपनी/अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड (आरटीए)/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास रजिस्टर्ड हैं और जिनके नाम 10 अगस्त, 2026 तक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में शामिल हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के तहत, कंपनी उन शेयरधारकों को एक पत्र भेज रही है जिन्होंने कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर नहीं कराया है। इस पत्र में वेब-लिंक और क्यूआर कोड (सही पाथ के साथ) दिया गया है, जहाँ वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट और 53वीं एजीएम का नोटिस उपलब्ध है।

53वीं एजीएम का नोटिस और वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **https://www.majesticauto.in/pdf/MAL%20-%20Annual%20Report%20-%202025-26.pdf** पर 'इन्वेस्टर' टैब के तहत और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** पर भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। 53वीं एजीएम का नोटिस एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है।

अगर कोई सदस्य वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट और कंपनी की 53वीं एजीएम के नोटिस की भौतिक कॉपी चाहता है, तो वह अपना फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए **compliance grievance@majesticauto.in** पर लिखकर कंपनी से अनुरोध कर सकता है।

53वीं एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा

इसके अलावा, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 और सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के तहत, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (रिमोट ई-वोटिंग के जरिए) से वोट करने का अधिकार इस्तेमाल करने की सुविधा दे रही है। यह सुविधा उन सदस्यों के लिए है जो सोमवार, 10 अगस्त, 2026 जो ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के हकदार सदस्यों के वोटिंग अधिकार तय करने के लिए कट-ऑफ तिथि है, तक शेयर धारण करते हैं। कंपनी ने एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान **www.evoting.nsdl.com** प्लेटफॉर्म के जरिए ई-वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा देने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ एक व्यवस्था की है।

बैठक से पहले और बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश, बैठक बुलाने वाले नोटिस के 'नोट्स' सेक्शन में दिए गए हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

i) रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ	शुक्रवार, 14 अगस्त, 2026 (9.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.)
रिमोट ई-वोटिंग का समापन	रविवार, 16 अगस्त, 2026 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.)

इसके बाद एनएसडीएल रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को वोटिंग के लिए बंद कर देगा और सदस्यों को तय तारीख और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट करने की इजाजत नहीं होगी।

ii) सदस्यों के वोटिंग अधिकार, कट-ऑफ तारीख यानी सोमवार, 10 अगस्त 2026 को कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। सदस्यों को एजीएम में वीसी/ओएवीएम कार्यवाही में ई-वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। एजीएम में शामिल होने वाले सदस्य, जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए प्रस्तावों पर वोट नहीं दिया है, वे एजीएम में चेयरमैन द्वारा घोषणा किए जाने पर ऐसे प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए प्रस्तावों पर वोट दिया है, वे वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल हो सकेंगे, लेकिन उन्हें ऐसे प्रस्तावों पर दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

(iii) कोई भी शेयरधारक जिसके पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जो नॉन-इंडिविजुअल शेयरधारक है और जिसने नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है, और कट-ऑफ तिथि तक इक्विटी शेयर धारण करता है, वह **rta@alankit.com** पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

iv) अगर कोई व्यक्तिगत शेयरधारक नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है, और कट-ऑफ तिथि पर डीमैट मोड में इक्विटी शेयर धारण करता है, तो वह नोटिस में दिए गए 'ई-वोटिंग और वीसी सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश' में बताए गए चरणों का पालन कर सकता है।

v) जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे नोटिस को केवल जानकारी के उद्देश्य से ही मानना चाहिए। केवल वही व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

vi) किसी भी प्रश्न के लिए, आप **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध **Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders** तथा **e-voting user manual for Shareholders** देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या **evoting@nsdl.com** पर श्री अमित विशाल को अनुरोध भेज सकते हैं, जिनका पता है तीसरी मंजिल, नमन चैंबर, प्लॉट सी- 32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 051.

डिपॉज़िटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के जरिए लॉगिन करने से जुड़ी किसी भी तकनीकी समस्या के लिए, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य **evoting@nsdl.com** पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल करें
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं या टोलफ्री नं. 1800-21-09911 पर कॉल करें

संवीक्षक

मैसर्स नीता ए एंड एसोसिएट्स (प्रोप्राइटर सुश्री नीता अग्रवाल, सदस्यता सं.: एफ9893, सीओपी: 13218), जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, को ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित नतीजों को कंपनी की वार्षिक आम बैठक में प्रस्ताव पास होने के दो (2) कामकाजी दिनों के भीतर कंपनी की वेबसाइट **www.majesticauto.in** और एनएसडीएल की वेबसाइट पर डाला जाएगा और बीएसई लिमिटेड को भी इसकी जानकारी दी जाएगी।

मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड के लिए

स्थान: नई दिल्ली — निशान्त शर्मा

दिनांक: 03 जुलाई, 2026 — कम्पनी सचिव

सार्वजनिक सूचना

ICICI Home Finance | पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ईस्ट), मुंबई-400051

कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टावर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400059

शाखा का पता: छठा तल, यूनिट नंबर 616, ए.बी.सी तथा 617 ए-बी-सी-डी, यूनिवर्सल ट्रेड टावर, सेक्टर-49, गुरूग्राम, हरियाणा-122018

निम्नलिखित कर्जदार/रों ने उनके द्वारा आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड ("आईसीआईसीआई एचएफसी") से प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं के मूलधन और ब्याज के भुगतान में चूक की है और ये ऋण अनार्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में श्रेणीबद्ध किए गए हैं। उनको, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन निम्नवर्णित तिथि को एक सूचना उनके अंतिम ज्ञात पतों पर प्रेषित की गई थी, तथापि यह उनको सुपुर्द नहीं की जा सकी और अतएव एतद्द्वारा उनको को इस सार्वजनिक सूचना द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम (ऋण खाता संख्या) एवं पता	प्रत्याभूत आस्ति/प्रवर्तित की जाने वाली आस्ति का सम्पत्ति पता	प्रेषित सूचना की तिथि/सूचना की तिथि तक बकाया राशि	एनपीए तिथि
1.	प्रिंस तंवर (कर्जदार), चुन्नी लाल (सह-कर्जदार), मधु आर (सह-कर्जदार), एससीओ टी 12 सेक्टर-1, आईएमटी मानेसर मानेसर, गुरूग्राम हरियाणा-122052 हरियाणा-122052 गुरूग्राम -122052 **LHSOY00001572452**	खेवत नंबर 104, खतौनी नंबर 113, मुस्ततील नंबर 17, किला नंबर 20/1 (4-14), 20/2 (0-15), किता 2 रकबा 5 कनाल, 9 मरला का 33/436 हिस्सा, बाकदर रकबा 0 कनाल 8 मरला 2 सरसई, वाका सिवान मौजा, ग्वालपहाड़ी, तहसील- वजीराबाद, जिला- गुड़गांव- 122011 हरियाणा सीमा:- पूर्व- प्लॉट का हिस्सा, पश्चिम- 20 फीट रोड, उत्तर- 10 फीट निजी सड़क, दक्षिण- लेख राज का मकान सीमा: उत्तर में: श्री लेखराज का मकान, दक्षिण में: निजी 10 फीट चौड़ी गली थान, पूर्व में: संपत्ति का पूर्व भाग, पश्चिम में: सड़क 20 फीट चौड़ी	23-06-2026 रु. 46,36,637/-	08-06-2026

सूचना प्रदान करने हेतु वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। उपरोक्त कर्जदार/रों तथा/अथवा उनके गारंटरों (जैसा लागू है) को उक्त बकाया राशि का भुगतान इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की सलाह दी जाती है, जिसमें विफल रहने की स्थिति में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

तिथि : 03 जुलाई, 2026 — प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : गुरूग्राम — आईसीआईसीआई होम फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड

एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड

ACRE — MAKING ASSETS WORK

कॉर्पोरेट कार्यालय : यूनिट नंबर 502, सी विंग, वन बीकेसी, प्लॉट नंबर सी - 66, जी - ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400051। टेलीफोन : 022 68643101।

पंजीकृत कार्यालय : 14वीं मंजिल, इरोस कॉर्पोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019।

ई-मेल : acre.arc@acreindia.in I वेबसाइट : www.acreindia.in I CIN : U65993DL2002PLC115769

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रू.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. V023XII (आईएचएफएल का पूर्व कर्ज खाता क्र. HHLDMT00286045) 1. विशेष कुमार प्रोपराइटर जेबीएम ट्रेडर्स 2. राजेश	यूनिट नंबर ई-1404, चौदहवीं मंजिल पर, टावर-ई में, ब्लॉक-04, टाइप-जी, जिसका कुल क्षेत्र 965 वर्ग फीट, लगभग (89.651 वर्ग मीटर) है, नीचे की भूमि क्षेत्र में लीजहोल्ड/सब-लीजहोल्ड अधिकारों के अविभाज्य और अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ, मुफ्त कार पार्किंग सहित, ''अमात्रा होम्स'' नामक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में, जो प्लॉट नंबर-जीएच-02सी में निर्मित है, सेक्टर-10, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा-201308।	05.09.2019	रु. 34,05,079.67/- (रुपए चौंतीस लाख पांच हजार उनासी और सड़सठ पैसे मात्र) 27.05.2026 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''।

सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

''किसी भी शिकायत के लिए आप श्री मोहम्मद शारिक मलिक, शिकायत निवारण अधिकारी से, फोन नंबर 011 - 66115609, ई-मेल : complaint@acreindia.in पर संपर्क कर सकते हैं. विस्तृत नीति संगठन के अंदर शिकायत निवारण तंत्र पर https://www.acreindia.in/compliance पर देखी जा सकती है''।

प्राधिकृत अधिकारी

कृते एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड

स्थान : नोएडा — ए सी आर ई - 102 - के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए

भौतिक अधिग्रहण सूचना

ICICI Home Finance | पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400051

निगमित कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई- 400059

शाखा कार्यालय : प्रथम तल, बी-20, आवास विकास, दिल्ली रोड, सहारनपुर - 247001

जबकि,

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न संवर्णित ऋणकर्ताओं को माँग सूचनायें निर्गत की थीं, जिनमें सूचनाओं में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूँकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता को एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नांकित तिथियों पर, अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋण से मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता के नाम / ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण / अधिग्रहण की तिथि	माँग सूचना की तिथि / माँग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	मुजतबा हसन (ऋणकर्ता), शाहरीन (सह-ऋणकर्ता), मकान संख्या 403, चिलकाना रोड, हलालपुर, सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001. **LHSAH00001580310.**	मुतालिका खसरा संख्या 1089/1 तथा 1114 वाके दार कोड्डा, सवाद बेरुन परगना तहसील तथा जिला सहारनपुर दर आबादी राहत कॉलोनी सहारनपुर, सहारनपुर- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001, सीमाएं :- उत्तर में- प्लॉट नं. 30, दक्षिण में- प्लॉट नं. 28, पूर्व में- प्लॉट नं. 47, पश्चिम में- 18' चौड़ा रास्ता / अधिग्रहण की तिथि : 27-जून-26	24-10-2025 रु. 36,44,864/-	सहारनपुर
2	मुजतबा हसन (ऋणकर्ता), शाहरीन (सह-ऋणकर्ता), मकान संख्या 403, चिलकाना रोड, हलालपुर, सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001. **LHSAH00001580328.**	मुतालिका खसरा संख्या 1089/1 तथा 1114 वाके दार कोड्डा, सवाद बेरुन परगना तहसील तथा जिला सहारनपुर दर आबादी राहत कॉलोनी सहारनपुर, सहारनपुर- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001, सीमाएं :- उत्तर में- प्लॉट नं. 30, दक्षिण में- प्लॉट नं. 28, पूर्व में- प्लॉट नं. 47, पश्चिम में- 18' चौड़ा रास्ता / अधिग्रहण की तिथि : 27-जून-26	24-10-2025 रु. 1,77,579/-	सहारनपुर
3.	मुजतबा हसन (ऋणकर्ता), शाहरीन (सह-ऋणकर्ता), मकान संख्या 403, चिलकाना रोड, हलालपुर, सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001. **LHSAH00001585720.**	मुतालिका खसरा संख्या 1089/1 तथा 1114 वाके दार कोड्डा, सवाद बेरुन परगना तहसील तथा जिला सहारनपुर दर आबादी राहत कॉलोनी सहारनपुर, सहारनपुर- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001, सीमाएं :- उत्तर में- प्लॉट नं. 30, दक्षिण में- प्लॉट नं. 28, पूर्व में- प्लॉट नं. 47, पश्चिम में- 18' चौड़ा रास्ता / अधिग्रहण की तिथि : 27-जून-26	24-10-2025 रु. 10,29,642/-	सहारनपुर

ऊपर-वर्णित ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को एतद्द्वारा निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए एक 30 दिवसीय सूचना दी जाती है, अन्यथा बंधककृत संपत्तियों का, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के समापन पर, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत नियत प्रावधानों के अनुसार, विक्रय कर दिया जायेगा।

दिनांक : 03 जुलाई 2026 — प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : सहारनपुर — आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

LIC HFL — LIC HOUSING FINANCE LTD — With you, for your dream home

बैंक ऑफिस : लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, ऑसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002

[(परिशिष्ट-IV) नियम 8(1)]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

[सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम 2002') के तहत **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी है और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, कर्जदार/सह-कर्जदार (कर्जदारों) को सूचना में नीचे वर्णित राशि + ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभारों को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए एक मांग सूचना जारी की। कर्जदार/सह-कर्जदार राशि का भुगतान करने में असफल रहे इसलिए एतद्वारा कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियम के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सम्मुख तिथि को नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है।

विशेषकर कर्जदार/सह-कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेन-देन नीचे वर्णित राशि + उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभारों के लिए **एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार के अध्यधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

क्र. सं.	आवेदक(कों) तथा सह-आवेदक(कों) के नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि	कब्जे का प्रकार
1.	(1) श्री पंकज तिवारी (आवेदक); (2) सुश्री रमा शुक्ला (सह-आवेदक) ऋण खाता:310100010056	यह सम्पत्ति फ्रीहोल्ड आवासीय डीडीए एलआईजी फ़्लैट नंबर 3 है, जो पहली मंज़िल पर है, इसका एरिया 42 वर्ग मीटर है, और यह ब्लॉक 8, पॉकेट 8, सेक्टर 18, रोहिणी आवासीय स्कीम, रोहिणी, दिल्ली - 110089 में स्थित है।	22.04.2026	29.06.2026	रु. 38,40,761.25 उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
2.	(1) सुश्री आयुषी शर्मा (आवेदक); (2) सुश्री पूजा शर्मा (सह-आवेदक); (3) श्री सुनील कुमार अग्रवाल (गारंटर) ऋण खाता:310100010284	यह सम्पत्ति पूरी दूसरी मंज़िल (बाईं ओर) है, जिसमें छत के अधिकार शामिल नहीं हैं। यह 78.17 वर्ग मीटर के प्लॉट पर बनी सम्पत्ति का हिस्सा है, जिसका सम्पत्ति नंबर 1/4938 है। यह खसरा नंबर 187 से है और गाँव सिकदरपुर के इलाके में, गली नंबर 5, बलबीर नगर एक्सटेंशन, इलाका शाहदरा, दिल्ली - 110032 की आबादी में स्थित है। सम्पत्ति की सीमाएँ:- उत्तरः उक्त सम्पत्ति का बाकी हिस्सा; दक्षिणः दूसरों की सम्पत्ति; पूर्वः 15 फीट चौड़ी गली; पश्चिमः दूसरों की सम्पत्ति।	22.04.2026	29.06.2026	रु. 28,33,203.74 उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
3.	श्री रमन वर्मा (आवेदक) ऋण खाता: 3001240001194	यह सम्पत्ति फ्रीहोल्ड बनी-बनाई डीडीए एमआईजी फ़्लैट नंबर 545 है, जो ग्राउंड फ़्लोर पर है, पॉकेट-ए, एरिया 75 वर्ग मीटर, सेक्टर 17, द्वारका आवासीय स्कीम, द्वारका, दिल्ली - 110075 में स्थित है।	22.04.2026	29.06.2026	रु. 74,37,781.40 उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
4.	(1) श्री मोहित कुमार (आवेदक); (2) श्रीमती अंशो रानी (सह-आवेदक); (3) श्री सुरेंद्र कुमार (गारंटर) ऋण खाता:312400001614	यह सम्पत्ति बनी-बनाई तीसरी मंज़िल है, जिसमें छत के अधिकार शामिल हैं। यह सम्पत्ति नंबर 10/ए है, जो 100 वर्ग गज (यानी 83.61 वर्ग मीटर) जमीन पर बनी है। यह खसरा नंबर 13/5 से है और गाँव मटियाला, दिल्ली के रेवेन्यू एस्टेट में, कॉलोनी सेवा पार्क, बी-2 ब्लॉक, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059 की आबादी वाले इलाके में स्थित है। सम्पत्ति की सीमाएँ:- उत्तरः दूसरों की सम्पत्ति; दक्षिणः दूसरों की सम्पत्ति; पूर्वः 9 फीट की गली; पश्चिमः 18 फीट की सड़क।	22.04.2026	29.06.2026	रु. 24,53,157.40 उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
5.	(1) श्री राजेश कुमार प्रधान (आवेदक) (2) श्री श्रीकांत प्रधान (सह-आवेदक) ऋण खाता: 3001100002483	वह पूरी सम्पत्ति जो दूसरी मंज़िल (बिना छत के अधिकार के) है, सम्पत्ति नंबर जी-79/बी-2 (अब जी-79-ए/बी-2 के नाम से जानी जाती है), गाँव मटियाला, आबादी वाले इलाके जैन पार्क, किरण गार्डन एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059 में बनी है। सम्पत्ति की सीमाएँ:- उत्तरः दूसरों की सम्पत्ति; दक्षिणः सड़क; पूर्वः सम्पत्ति नंबर 78; पश्चिमः प्लॉट का हिस्सा।	22.04.2026	29.06.2026	रु. 32,10,112.93 उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
6.	(1) श्री पुरूषोत्तम भारद्वाज (आवेदक); (2) श्री दीपक (सह-आवेदक) ऋण खाता: 312300005399	वह पूरी सम्पत्ति जो सम्पत्ति नंबर एफ-185/4, पहली मंज़िल (बिना छत के अधिकार के), ब्लॉक एफ, खसरा नंबर 31/24, विष्णु गार्डन, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली - 110015 है।	22.04.2026	29.06.2026	रु. 16,54,850.05 उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
7.	(1) सुश्री पूनम पुत्री स्व. धर्मबीर सिंह (आवेदक); 2. श्री रविंदर कुमार (गारंटर) ऋण खाता:311700003169	वह पूरी सम्पत्ति जो मकान नंबर 2200/20, रकबा 100 वर्ग गज, किला नंबर 20//23/1, 23/2/1, मौजा कनहेली, राजीव नगर (अंबेडकर नगर), एमसी सीमा के भीतर, रोहतक, हरियाणा - 124001 है। सम्पत्ति की सीमाएँ:- उत्तरः प्लॉट 45 फीट; दक्षिणः प्लॉट 45 फीट; पूर्वः सड़क 20 फीट; पश्चिमः प्लॉट 20 फीट।	22.04.2026	29.06.2026	रु. 13,61,028.44 उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
8.	(1) श्री ऐजाज अहमद मुल्तानी (आवेदक); (2) श्रीमती यास्मीन (सह-आवेदक) ऋण खाता: 310700002332	वह पूरी सम्पत्ति जो फ्रीहोल्ड आवासीय एलआईजी फ़्लैट नंबर एफ-2, पहली मंज़िल (बिना छत के अधिकार के), कवर्ड एरिया 41.805 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर 476 पर बनी है, जो शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-क आवासीय कॉलोनी, ज़िला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201005 में स्थित है। सम्पत्ति की सीमाएँ:- उत्तरः प्लॉट नंबर 475; दक्षिणः प्लॉट नंबर 477; पूर्वः सर्विस लेन; पश्चिमः सड़क 40 फीट।	22.04.2026	29.06.2026	रु. 2,87,492.23 उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा
9.	(1) श्री ऐजाज अहमद मुल्तानी (आवेदक); (2) श्रीमती यास्मीन (सह-आवेदक) ऋण खाता: 310700002344	वह पूरी सम्पत्ति जो फ्रीहोल्ड आवासीय एलआईजी फ़्लैट नंबर एफ-2, पहली मंज़िल (बिना छत के अधिकार के), कवर्ड एरिया 41.805 वर्ग मीटर है। यह सम्पत्ति शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-क आवासीय कॉलोनी, ज़िला गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201005 में स्थित प्लॉट नंबर 476 पर बनी है। सम्पत्ति की सीमाएँ:- उत्तरः प्लॉट नंबर 475; दक्षिणः प्लॉट नंबर 477; पूर्वः सर्विस लेन; पश्चिमः 40 फीट चौड़ी सड़क।	22.04.2026	29.06.2026	रु. 9,87,880.51 उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	सांकेतिक कब्जा

उपरोक्त के अनुसार बकाया राशि तथा भावी ब्याज एवं मांग सूचना की तिथि से अन्य प्रभार।

तिथि : 02.07.2026, स्थान : नई दिल्ली — अधिकृत प्राधिकारी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

पंजीकृत कार्यालयः- ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तृतीय 'ए' क्रॉस, 18जी मेन, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु-560095 क्षेत्रीय कार्यालयः- जी एम टी टी बिल्डिंग प्लॉट नं. डी-7, सेक्टर-3, नोएडा (यूपी)-201301

शाखा कार्यालयः- डी-11, भूतल, राज नगर, आरडीसी, बीएसएनएल कार्यालय के सामने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201002

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के परंतुक नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) 2002 के तहत बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाते में बंधक संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी ''जहां है जैसा है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर नीचे निर्धारित तिथि को आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता नं.	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर का नाम	13-2 नोटिस की तिथि और मांग राशि	सांकेतिक/भौतिक कब्जे की तिथि	वर्तमान बकाया राशि	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य रु. में	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. में (आरक्षित मूल्य का 10%)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	ईएमडी भेजने हेतु खाता विवरण
1.	2210250250000105	(1) रामकिशोर सिंह पुत्र हरदास सिंह, खसरा सं. 354, सिवाया, हापुड़, उत्तर प्रदेश-245301 साथ हीः मकान सं. 39, सिवाया, गाजियाबाद, धौलाना, उत्तर प्रदेश-245301, (2) ललिता सिंह पत्नी रामकिशोर सिंह, ख. सं. 354, सिवाया, हापुड़, उत्तर प्रदेश-245301 साथ हीः मकान सं. 39, सिवाया, गाजियाबाद, धौलाना, उत्तर प्रदेश-245301	27.03.2025 रु. 6,47,349/-	03.12.2025 (भौतिक कब्जा)	रु. 9,56,670.33 (दिनांक 30.06.2026 तक)	17.07.2026 अर्पा. 02.00 बजे पूर्व नियुक्ति द्वारा	रु. 8,71,000/-	रु. 87,100/-	24.07.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे से दोप. 12.00 बजे तक	23.07.2026 को अर्पा. 04.00 बजे तक	ईएमडी को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में उत्तम नगर शाखा में देय डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी /आईएमपीएस के माध्यम से खाता सं. 22011013462001 आईएफएससीः UJVN0002201 पर जमा किया जाना चाहिए। संपर्क व्यक्तिः 1. अमन लाकड़ा, मो. 8397993497, 2. सौरव सरदाना मो. 9056762855

फ्री होल्ड प्लॉट का वह समस्त भाग एवं अंश जिसका क्षेत्रफल 120 वर्ग गज और 100.36 वर्ग मी., खसरा नं. 354 में से, ग्राम- सिवाया, परगना- डासना, तहसील- धौलाना, जिला- हापुड़, उत्तर प्रदेश में स्थित जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं : पूर्वः हनिकिशन एवं विक्रेता का प्लॉट, पश्चिमः हरदास, दलचंद एवं शिशपाल का प्लॉट, उत्तरः रास्ता एवं विक्रेता का प्लॉट, दक्षिणः महेन्द्र के पुत्र संजय का मकान

नियम एवं शर्तें-

ई-नीलामी ''जहां है जैसा है'' और ''जो कुछ भी है' आधार पर आयोजित की जायेगी।

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, किसी भी संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, ऋणभार, नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/देवताओं के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन से बैंक की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं बनता है और न ही यह माना जाएगा। संपत्ति की बैंक की ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भावी ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है। अधिकृत अधिकारी/सिक्योर्ड क्रेडिटर किसी भी तीसरे पक्ष के दावों अधिकारों देयताओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
2. बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विशिष्टताओं के बारे में निरीक्षण और स्वयं की संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लेखित साइटों पर करने की अनुमति दी जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं की अपनी बोली ऊपर उल्लिखित नीलामी की तारीख से पहले अधोहस्ताक्षरित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
4. ई-नीलामी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। संपर्क व्यक्ति प्रभाकरन (मो. संख्या 7418281709) (इच्छुक बोलीदाताओं की संपत्ति के विवरण के लिए **https://www.bankeauctions.com or https://www.ujjivansfb.in/e-auctions** पर जाने की सलाह दी जाती है। और बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम दर्ज कराना होगा और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। भावी बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर- 7291918824, 25, 26, सपोर्ट ईमेल आईडीः support@bankeauctions.com, नीलामी पोटल- https://www.bankeauctions.com से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. संपत्ति उच्चतम बोलीदाता/प्रस्तावित को बेची जाएगी, जो प्रतिभूत लेनदार, पानी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली की स्वीकृति के अधीन होगी। हालांकि, अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्ण विवेक है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो इंटर से बोली लगाने की अनुमति दी जा सकती है। प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. सफल बोलीदाता की जमा धरोहर राशि (ईएमडी) को आंशिक विक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के भीतर, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए विक्री मूल्य का 25% जमा करना होगा और बिक्री के 15 वें दिन या उससे पहले विक्री मूल्य का शेष 75% या किसी भी मामले में लिखित रूप में और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर अधिकतम 3 महीने की विस्तारित अवधि के भीतर सहमति के अनुसार जमा करना होगा। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, प्रस्ताव द्वारा पहले से जमा की गई राशि की जब्त कर लिया जाएगा और संपति को फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा और डिफॉल्ट खरीदार का संपत्ति राशि के संबंध में कोई दावा अधिकार नहीं होगा।
7. यह प्रकाशन प्रभावी मुख्य खंड के अधीन है।
8. बोलीदाताओं के अपने हित में अंतिम क्षण में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता बिजली विफलता आदि) के लिए जिम्मेवार होंगे, ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों की घटनाओं से चचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे कि बिजली आपूर्ति बैक-अप आदि की व्यवस्था करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।
9. यह बंधक संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं के लिए भी एक सूचना है।

तिथिः 02.07.2026 — स्थानः हापुड़ (उत्तर प्रदेश) — प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक